शीर्ष प्राथमिकता

संख्याः 87/3091/52-1-2014-1(12)/09

प्रेषक,

सूर्य कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
620, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 10 अक्टूबर, 2014**

विषयः मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद बरेली में स्वीकृत 60 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवन निर्माण हेतु अवशेष केन्द्रांश की **द्वितीय किश्त** (50प्रतिशत) एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-49/52-1-2009-1(12)/2009, दिनांक 05-01-2009 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिससे उक्त जनपद में 60 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवन निर्माण हेतु "उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ, लि0 लखनऊ" को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए केन्द्रांश की प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी थी तथा राज्यांश की धनराशि देने हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अनुरोध किया गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनु सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(15)/2008-पी0पी0-1, दिनांक 20.09.2011 से उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण के लिये कुल अनुमोदित केन्द्रांश की अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू02,08,59,000/- (रू0 दो करोड़ आठ लाख उन्सठ हजार मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू0 36,81,000/-(रू0 छत्तीस लाख इक्यासी हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 2,45,40,000/- (रू0 दो करोड़ पैंतालिस लाख चालीस हजार मात्र) वित्तीय वर्ष-2014-15 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि रू0 3771.37 लाख में से अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई सं0	इकाई लागत	अनुमोदित केन्द्रांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के0+रा0)	कुल राज्यांश	वर्तमान में अवमुक्त **द्वितीय किश्त** की धनराशि		कुल अवमुक्त धनराशि (के0रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	बरेली	प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र	60	8.18	417.18	208.59	73.62	208.59	36.81	245.40
		;ksx¾	**60**	**8.18**	**417.18**	**208.59**	**73.62**	**208.59**	**36.81**	**245.40**

https://shasanadesh.up.nic.in

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इस सक्षम स्तर की सवीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना में लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यदायी संस्था **उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ, लि0 लखनऊ** के प्रबन्ध निदेशक को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को 03 माह में कुल अनुमोदित धनराशि से गुणवत्ता युक्त एवं संतोषजनक रूप से पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के प्रबन्ध निदेशक, के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा। निर्माण कार्य में शासनादेश संख्या-821/52-1-09-1(1)/09, दिनांक 30 मार्च, 2009 के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी-सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवन की डिजाइन वही होगी, जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित है।

7- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

8- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9- अवमुक्त धनराशि के व्यय का जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियों में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमात्र-पत्र एवं उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

https://shasanadesh.up.nic.in

10- इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का अनुदान ग्राही द्वारा एक पृथक लेखा (Grantee) मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा की जायेगी।

11- प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवन पर कार्यदायी संस्था द्वारा एक बोर्ड भी निर्मित किया जायेगा जिस पर योजना की लागत, बजट का स्रोत, योजना के स्वीकृत होने की तिथि, भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि तथा कार्यदायी संस्था का नाम अंकित किया जायेगा।

12- उक्त निर्माण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-जी0आई0-193/52-1-14-1(120) /2009, दिनांक16 मई, 2014 के अनुसार निर्मित/निर्माणाधीन परियोजनाओं का थर्ड पार्टी से निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

13- उपरोक्त कार्य के बारे में प्रथम किश्त की धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

14- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "4235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02--समाज कल्याण-800--अन्य व्यय-01--केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0106-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण(के075-रा0 25-के0+रा0)-**24--वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी0-1-2457/दस-2014-231 /2014, दिनांक 22-07-2014 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सूर्य कुमार)
अनु सचिव।

संख्या 3091(1)/बावन-1-2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (परीक्षा विभाग), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वाँ तल पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली ।

5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत केन्द्रों के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी

https://shasanadesh.up.nic.in

सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाना निवेदित है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिये केन्द्र/राज्य सरकार के किसी अन्य मद से अनुदान प्राप्त न किया गया हो।

6- प्रबन्ध निदेशक, **'उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ, लि0 लखनऊ'** को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के स्थलों की सूची सम्बन्धित विभाग/अधिकारी से प्राप्त कर गुणवत्ता पूर्ण निर्माण समयान्तर्गत पूर्ण करने का कष्ट करें।

7- जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निर्मित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के स्थलों की सूची कार्यदायी संस्था एवं शासन को शीघ्र उपलब्ध कराकर गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कराने का कष्ट करें।

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

10- वित्त-ई-11

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को स्वच्छ प्रति की 03 प्रतियां।

12- निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज, उत्तर प्रदेश को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

13- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.nic.in